लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
056/2022 (GCMS 2022/273)	29.08.2022	14.09.2022

अनवान

भागीरथ वैष्णव पिता रतन दास वैष्णव निवासी धांगडमउ कलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक ऑनलाइन आवेदन/प्रार्थना पत्र संख्या 277006970066907 दिनांक 03.07.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। जो कि पत्रांक/प्रथम अपील संख्या 58/2022 दिनांक 24.08.2022 से अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित होकर जरिये ईमेल प्राप्त हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./056/2022(सू.अ.)(14.09.2022)/662 दिनांक 29.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.09.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 14.09.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ने अपने पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/373 दिनांक 01.09.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार हैं–

यह कि प्रार्थी भागीरथ पुत्र रतन दास वैष्णव निवासी धांगणमउ कलां द्वारा दिनांक 03.07.2022 को उक्त नियमों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया। तकनीकी खराबी की वजह से प्रार्थी का आवेदन ऑपरेट नहीं होने की वजह से अवलोकन नहीं किया जा सका।

प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के क्रम में बिन्दुवार सूचना प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/344 दिनांक 25.08.2022 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अवधि पार हो जाने से निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई हैं। कथन की पुष्टि में पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं। प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी जाने की स्थिति में अपील इसी स्तर पर निस्तारण योग्य हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/373 दिनांक 01.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर अपने पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./2022/344 दिनांक 25.08.2022 से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गयी हैं। साथ ही रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर भी अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं आए, जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब/कमेण्ट्स एवं उनके सलंग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना उसको उपलब्ध करा दी गयी है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
14.09.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official